न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 16/495

अशोक कुमार आत्मज श्री गोपीलाल जी जाति महाजन निवासी इटावा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार जी जाति महाजन निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. मंजू बेवा नरेन्द्र कुमार जी जाति महाजन निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, निधि जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (अ) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 918 से हाकर परिशिष्ट (अ) में वर्णित अनुसार अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 939 तक जाने हेतु 25 फुट चौडा मार्ग कायम किया जाकर जिसका नक्शे लट्ठे में इन्द्राज किया जाकर मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.09.2016 से व्यथित होकर अर्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट जो कि पूर्व में सहखातेदार थे तथा जिनके पूर्व खाते में आराजी खसरा नम्बर 604 की 41 बीघा 13 बिस्वा आराजी थी । अपीलान्ट अपनी आराजी पर आने–जाने टेक्टर ट्रोली लाने ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 918 में स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट पेश की गई है वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । अपीलान्ट को उसके खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट नया रास्ता कायम करने पर नियमानुसार डी.एल.सी दर जमा कराने का तैयार है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को डी.एल.सी दर की दोगुना राशि जमा कराने पर नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि अपीलान्ट को उसके खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध न हो । प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12.05.2016 मौका रिपोर्ट पेश की गई है जिससे साबित है कि अपीलान्ट को अपने खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 40 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया । अपीलान्ट जिस स्थान से होकर रास्ता चाहता है उस स्थान पर वर्तमान में एक अर्द्धनिर्मित भवन बना हुआ है तथा बोरवेल लगा हुआ है । अपीलान्ट जिस रास्ते की मांग कर रहा है वह घूमावदार है जिसमें भवन तथा बोरवेल पक्के निर्माण मौजूद हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12.05.2016 की मौका रिपोर्ट से भी साबित है अपीलान्ट जिस रास्ते की मांग कर रहा है उस जगह नया रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है ।

ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा